भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 717

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2026

एमएसएमई प्रौद्योगिकी उन्नयन हब

717. श्रीमती शांभवीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के प्रमुख औद्योगिक समूहों में वर्ष 2026 के दौरान स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रौद्योगिकी उन्नयन हबों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर बिहार में संचालित किए गए ऐसे हबों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त हबों द्वारा लघु उद्यमों को किफायती दरों पर उन्नत विनिर्माण उपकरण और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) तक अपेक्षित पहुंच प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) प्रत्येक हब के अंतर्गत एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (योज्य विनिर्माण), प्रिसिजन मशीनिंग (सटीक मशीनिंग) और स्वचालित गुणवत्ता परीक्षण सहित शामिल प्रौद्योगिकी वर्टिकल्स का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त हबों ने एमएसएमई को महंगी मशीनरी पर होने वाले पूंजीगत व्यय को कम करने के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में कितना सक्षम बनाया है; और

(ङ) वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक विशेष रूप से खगड़िया और समस्तीपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में प्रौद्योगिकी उन्नयन हब स्थापित करने के लिए चिन्हित किए गए अतिरिक्त औद्योगिक समूहों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक संपदाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2026 के दौरान बिहार में एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित सीएफसी निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षेत्र	अंतिम अनुमोदन पत्र की तिथि	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना की लागत लाख रुपए में	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान लाख रुपए में
1	फैब्रिक डाईंग क्लस्टर, नालंदा में सीएफसी	नालंदा	वस्त्र	21.05.2026	2026-27	930.61	697.96

सीएफसी एमएसएमई को साझा तौर पर आधुनिक मशीनरी, परीक्षण, डिजाइन, प्रसंस्करण और अन्य सामान्य सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत निवेश लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।

(ङ) : एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव मांग-संचालित हैं और क्लस्टर की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।
